मध्यप्रदेश नगरपालिका (पार्षदों को परिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1995

(धारा 353 के अंतर्गत)

क्र. एफ 7-4-95-अट्ठारह-तीन, दिनांक 19 मई 1995[1] -- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 353 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में नगरपालिका परिषदों तथा नगरपंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और पार्षदों को देय पारिश्रमिक तथा भत्तों को विनियमित करने के आशय से निम्नानुसार नियम बनाती है, अर्थात्-

नियम

1. संक्षिप्त नाम -- ये नियम मध्यप्रदेश नगरपालिका (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1995 कहलायेंगे।

2. परिभाषाएँ -- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) ''परिषद'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत,

(2) ''पार्षद्'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 में यथावर्णित पार्षद्,

(3) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का अध्यक्ष,

(4) ''उपाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का उपाध्यक्ष,

(5) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होगा जो उन्हें मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में दिया गया है।

[2][**3. पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता** -- प्रत्येक नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षदों को पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा --

(1) नगरपालिका परिषदों की दशा में --

(क) अध्यक्ष	:	रु. 3000/- पारिश्रमिक तथा
	:	रु. 1800/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह
(ख) उपाध्यक्ष	:	रु. 2400/- पारिश्रमिक तथा
	:	रु. 800/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह
(ग) पार्षद (पदेन को छोड़कर)	:	रु. 1800/- पारिश्रमिक प्रतिमाह

(घ) परिषद तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य 195.00 रुपए प्रति बैठक की दर से, जो 375.00 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :

परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

---

1. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19-5-1995 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्र. 13-एफ क्र. 1-18-2010-अठारह-3 दिनांक 25 अगस्त 2010 द्वारा प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-8-2010 पृष्ठ 864(1) पर प्रकाशित।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

[illegible] कुमार सिंह
उप संचालक

(2) नगर पंचायतों की दशा में --

(क) अध्यक्ष	:	रु. 2400/- पारिश्रमिक तथा
	:	रु. 1100/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह
(ख) उपाध्यक्ष	:	रु. 2100/- पारिश्रमिक तथा
	:	रु. 800/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह
(ग) पार्षद (पदेन को छोड़कर)	:	रुपये 1400/- पारिश्रमिक प्रतिमाह

(घ) परिषद तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य 120.00 रुपए प्रति बैठक की दर से, जो 360.00 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :]

परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

4. **परिषद् क्षेत्र के बाहर यात्रा के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्ता** -- परिषद् की अनुमति से, परिषद् क्षेत्र से बाहर की गई यात्रा के लिए यात्रा के विभिन्न साधनों तथा दैनिक भत्ते की पात्रता निम्नानुसार होगी । यात्रा के संबंध में अन्य सभी बिंदु शासकीय सेवकों के लिए लागू मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम से विनियमित होंगे ।

(1)	यात्रा के साधनों की पात्रता	रेल्वे की प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, स्लीपर कोच या चेयर कार, बस की उच्च श्रेणी ।
(2)	दैनिक भत्ता	(एक) प्रदेश के राजभोगी नगरों (भोपाल, इंदौर, रायपुर, ग्वालियर, जबलपुर) तथा राज्य के बाहर अन्य नगरों के लिए रु. 45/- (दो) अन्य नगरों के लिए रु. 30/-

परंतु राज्य के बाहर यात्रा की स्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ।

5. इन नियमों के निर्वचन के संबंध में होने वाली किसी शंका या कठिनाई की दशा में उसे राज्य सरकार को संदर्भित किया जावेगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

6. **निरसन** -- मध्यप्रदेश नगरपालिका (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1979 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

कुमार सिंह
उप संचालक

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग